कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार,कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

प्रार्थी :- सर्वश्री फिबरोप्लास्ट, सी 30, सेक्टर 58 नोएडा

प्रा0प0सं0:- 301/2008

प्रार्थी की ओर से श्री मयंक गुप्ता।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11-6--2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें Outboard Engines / Outboard Motors पर कर की दर की जानकारी चाही गई है।

2- डिप्टी कमिश्नर (क0नि) 9 वाणिज्य कर,नोएडा से प्राप्त आख्या मे उल्लेख किया गया है कि वैट अधिनियम के शिडयूल -1,2,3,व 4 मे वर्गीकृत न होने के कारण शिडयूल-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री मयंक गुप्ता उपस्थित हुए व उन्होनें बताया कि Outboard Engines / Outboard Motors मशीनरी के अन्तर्गत आते है अत: इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए।

4- मैने धारा-59 के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों ,प्राप्त विभागीय आख्या का अवलोकन किया। सर्वश्री उषा इन्टरनेशनल लि0,शाहनजफरोड,लखनऊ (प्रार्थना पत्र संख्या- 42/2008) मे कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 18-2-2008 मे डीजल इंजन चलित पम्पिंग सेटस एवं केरोसिन पम्पिंग सेटस को मशीनरी के अन्तर्गत माना गया था। शिडयूल-2 पार्ट-ए के क्रमॉक 26 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Machinery , equipment , apparatus , tools ,moulds , dies and component spare parts ,accessories there of ; earth movers ; dehusker and hand mixer .

Outboard Engines / Outboard Motors मशीनरी के अन्तर्गत आते है अत: इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक:: अगस्त 8 2008

ह0/ 08-08-2008

(दीपक कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।